मु<u>0अ0सं0—313 / 2020) धारा 323 324 / 308 / 504 / 506</u> भादवि मे वांछित <mark>03</mark> अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी महोदय द्वारा चैकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति, रोकथाम जुर्म जरायम के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के कम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री नीरज कुमार जादौन महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर श्री सुनील कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व म <mark>थाना निवाडी पुलिस द्वारा</mark> थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0—313/2020 धारा 323 324/308 /504/506 भादिव में वांछित अभियुक्तगण 1—अभिमन्यु पुत्र भगवत निवासी ग्राम कैथवाडी थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद, 2—अंकित पुत्र अभियमन्यु निवासी ग्राम कैथवाडी थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद, 3—मोहित पुत्र अभिमन्यु निवासी ग्राम कैथवाडी थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद, 3—मोहित पुत्र अभिमन्यु निवासी ग्राम कैथवाडी थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद को दिनांक 26.10.2020 समय 15:36 बजे अभियुक्तगण को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 25.10.2020 समय करीब 6:30 बजे शाम वादी के पिता व चाचा के साथ मारपीट करना, बलकटी व डण्डों से वार कर घायल करना व जान से मारने की धमकी देना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1-अभिमन्यु पुत्र मगवत निवासी ग्राम कैथवाडी थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद,
- 2—अंकित पुत्र अभियमन्यु निवासी ग्राम कैथवाडी थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद,
- 3—मोहित पुत्र अभिमन्यु निवासी ग्राम कैथवाडी थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद, गिरफ्तार करने वाली टीम:—
 - 1–उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार, थाना निवाडी
 - 2—हे0का0 733 रणवीर सिंह थाना निवाडी
 - 3–का० 557 ओमबीर सिंह, थाना निवाडी
 - 4-का0 339 प्रियांक कुमार थाना निवाडी

बरामदगी का विवरण:-

1—घटना में प्रयुक्त एक बलकटी पंजीकृत अभियोगों का विवरणः—

1-313/2020 धारा 323/324/308/504/506 भादवि थाना निवाडी

2–319 / 88 धारा 395 / 397 भादवि थाना मुरादनगर (बनाम अभिमन्यू)

3-284/90 धारा 395 भादवि थाना मुरादनगर (बनाम अभिमन्य्)

4-256 / 86 धारा 380 भादवि थाना मुरादनगर (बनाम अभिमन्यु)

5-78 / 91 धारा 3 यू०पी० गुण्डा अधिनियम थाना निवाडी (बनाम अभिमन्यू)

6-83 / 91 धारा 25ए एक्ट थाना निवाडी (बनाम अभिमन्यू)

7-81 / 91 धारा 307 भादवि थाना निवाडी (बनाम अभिमन्यु)

8-9/92 धारा 379 भादवि थाना निवाडी (बनाम अभिमन्य्)

9—121/92 धारा 110जी द0प्र0सं0 थाना निवाडी (बनाम अभिमन्य्)

10-92/96 धारा 3 यू०पी० गुण्डा अधिनियम थाना निवाडी (बनाम अभिमन्यू)

11–86/96 धारा 17/18 एनडीपीएस एक्ट थाना निवाडी (बनाम अभिमन्यु)

12-एनसीआर-29 / 95 धारा 323 भादवि थाना निवाडी (बनाम अभिमन्यू)

13–12/96 घारा 395/397 भादवि थाना निवाडी (बनाम अभिमन्यू)

14-81 / 96 धारा 25ए एक्ट थाना निवाडी (बनाम अभिमन्यू)

15–49 / 97 धारा 394 भादवि थाना फैज ।। नौएडा (बनाम अभिमन्यु)

16-28/02 धारा 110जी द्र0प्र0सं0 थाना निवाडी (बनाम अभिमन्यू)

17—39 / 02 घारा 3 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम थाना निवाडी (बनाम अभिमन्यु)

18-30 / 03 धारा 3 यूँ०पी० गुण्डा अधिनियम थाना निवाडी (बनाम अभिमन्यू)

19-39 / 04 धारा 3 यूँ०पी० गुण्डा अधिनियम थाना निवाडी (बनाम अभिमन्यू)

20-65/06 धारा 3 यू०पी० गुण्डा अधिनियम थाना निवाडी (बनाम अभिमन्यु) 21-47/07 धारा 3 यू०पी० गुण्डा अधिनियम थाना निवाडी (बनाम अभिमन्यु)



<u>थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद की पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को 85 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्राजोलाम सहित गिरफ्तार किया गया</u>

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में ,श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एंव प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व मे <mark>थाना टीला मोड पुलिस द्वारा</mark> दिनांक 26/10/20 को समय 20.50 बजे चैकिंग के दौरान हेता डेरी के ढलान से पसौण्डा की ओर एक अभियुक्त शाहरूख पुत्र जान मौहम्मद नि0 निकट कुम्हालो वाला मन्दिर पसौण्डा, थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद को 85 ग्राम नशीला पाउडर (एल्प्राजोलाम) बरामद किया गया जिसके सम्बन्ध पर थाना टीला मोड पर मु0अ0सं0 438/20 धारा 8/21 NDPS. Act पंजीकृत किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1- शाहरूख पुत्र जान मौहम्मद नि0 निकट कुम्हालो वाला मन्दिर पसौण्डा, थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1- मु0 अ0 स0 438/2020 धारा 8/21 NDPS. Act , थाना टीला मोड गा0बाद



<u>थाना कविनगर एण्टी रोमियों स्क्वायड द्वारा लडिकयों के साथ छेडछाड करने वाले चार</u> मनचले गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा जघंन्य अपराधो में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक <mark>थाना कविनगर</mark> के निर्देशन मे दिनाँक 26.10.2020 को समय 23.51 बजे आर.डी.सी राजनगर में लडिकयों के साथ छेडखानी करने वाले 04 अभियुक्त 1. नवीन पुत्र बिशम्बरदत्त नि0 315 जैड ब्लाक सैक्टर 12 नोयडा जिला गौ0बु0नगर 2. शिन त्यागी पुत्र परमेश त्यागी नि0 आर.सी 750 वन्दना इन्कलेव खोडा कालौनी थाना खोडा जिला गोजियाबाद 3.हिमाँशु श्रीवास्तव पुत्र श्यामाकान्त श्रीवास्तव नि0 जी 405 सेक्टर 23 संजय नगर थाना कविनगर गाजियाबाद 4. राजेश पण्डित पुत्र दिनेश पण्डित नि0 म0न0 21 आजाद बिहार खोडा कालोनी जिला गाजियाबाद सम्बन्धित मु0अ0सं0 1504/20 धारा 354/354ख/354घ/323 भादवि को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त गणो द्वारा दिनाँक 26.10.2020 की शाम को शराब पीकर आर.डी.सी राजनगर में आने जाने वाली लडिकयों के साथ छेडखानी व बदतमीजी की गयी और मारपीट की गयी। अभियुक्तगण को मौके पर मौजूद गश्त कर रही थाना पुलिस टीम एवं शिक्त मोवाइल के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कार को सीज किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1. नवीन पुत्र बिशम्बरदत्त नि० ३१५ जैड ब्लाक सैक्टर १२ नोयडा जिला गौ०बु०नगर
- 2. शनि त्यागी पुत्र परमेश त्यागी नि0 आर.सी ७५० वन्दना इन्कलेव खोडा कालौनी थाना खोडा जिला गाजियाबाद
- 3. हिमाँशु श्रीवास्तव पुत्र श्यामाकान्त श्रीवास्तव नि० जी ४०५ सेक्टर २३ संजय नगर थाना कविनगर गाजियाबाद
- 4. राजेश पण्डित पुत्र दिनेश पण्डित नि० म०न० २१ आजाद बिहार खोडा कालोनी जिला गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण -

एक कार शिफ्ट न0 यू.पी 14 डी.एम 1458 (घटना में प्रयुक्त)

आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 1504/20 धारा 354/354ख/354घ/323 भादवि



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा चार पटाखों के बोरों के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजयनगर पुलिस को शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब <mark>थाना विजयनगर</mark> प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 226/10/20 को चैकिंग के दौरान दो शातिर अभियुक्तगण 1.राजकुमार 2. अजरूद्दीन उर्फ मयुनूद्दीन को **चार अवैध पटाखों के बोरों** के साथ थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

- *नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त*
- 1- राजकुमार पुत्र तेज सिंह निवासी पानी की टंकी के पास सुदामापुरी थाना विजयनगर गा0बाद
- 2- अजरूद्दीन उर्फ मयुनूद्दीन पुत्र मौ0 जिलेदार निवासी सुदामापुरी बी ब्लाकं थाना विजयनगर गाजियाबाद
- *पंजीकृत अभियोग का विवरण*
- 1- मु.अ.स. 1392/20 धारा 9B(1)(b) विस्फोटक अधिनियम थाना विजय नगर गाजियाबाद बनाम राजकुमार
- 2- मु.अ.स. $1393_{/20}$ धारा $9_{B(1)(b)}$ विस्फोटक अधिनियम थाना विजय नगर गाजियाबाद बनाम अजरूद्दीन उर्फ मयुनूदीन
- *****बरामदगी का विवरण*
- 1- दो पटाखो के बोरे अभि0 राजकुमार से
- 2- दो पटाखो के बोरे अभि0 अजरूदीन उर्फ मयुनूदीन से



थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा मय 01 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.10.2020 को समय करीब 09.52 बजे लाल मन्दिर के पास संगम विहार की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति संदीप गोयल पुत्र गौरीशंकर नि0 गली न0 10 गुलाब वाटिका थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद को मय 01 किलो 500 ग्राम गांजा के गिरफ्तार किया गया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं गांजा की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर चलते-फिरते लोगों को बेच देते हैं। जिससे मेरे व मेरे घर का खर्चा चल जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

संदीप गोयल पुत्र गौरीशंकर नि0 गली न0 10 गुलाब वाटिका थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद

अभि0 जाकिर से बरामदगी का विवरण-

01 किलो 500 ग्राम गांजा नाजायज



<u>थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार जिनके कब्जे से दो अदद</u> नाजायज चाकु बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन निहत्था के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी द्वितीय के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक कविनगर के कुशल निर्देशन थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान लाल कुआं चौराहा आईएमएस रोड से दो नफर अभियुक्त गिरप्तार जिनके कब्जे से एक –एक चाकू बरामद हुए।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त गण सुखवीर पुत्र मोमराज व सलाउद्दीन पुत्र सलाउद्दीन से पूछताछ की तो बताया कि हम लोग अपने पास नाजायज चाकू रखते है जिसे दिखाकर चलते फिरते लोगो को डरा धमका सके ।अभियुक्तगण के अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकरी की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1- सुखवीर पुत्र मोमराज नि0 ग्राम शाहपुर बम्हेटा थाना कविनगर गाजियाबाद
- 2- सलाउद्दीन पुत्र अनवर नि0 ग्राम शाहपुर बम्हेटा थाना कविनगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण –

अभियुक्त गण के कब्जे से 02 अदद नाजायज चाकू बरामद होना। आपराधिक इतिहास सुखवीर

- मु0अ0स0 1506/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना कविनगर आपराधिक इतिहास सलाउद्दीन
 - $1.\,\,$ मु0अ0स $0\,\,$ 1507/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि $0\,$ थाना कविनगर

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा चोरी की 01 मोटर साइकिल व 01 अदद नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही:— जनपद गाजियाबाद व आस—पास के जनपदो में अपराधियों चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान विरुष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतूर्थ महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 27.10. 2020 को समय करीव 1.10 टेलिफोन एक्स्चेन्ज पुलिया के पास से एक अभियुक्त कन्हैया कुमार पुत्र मुरारी सिंह नि0 49 जवाहर पार्क थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को चोरी की मोटर साईकिल सुपर स्पलेण्डर नं0 डीएल 5 एसएएल 9365 व एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है।



अपराध कारित करने का तरीका:--

अभियुक्त ने पूछतांछ में बताया कि यह मोटर साइकिल उसने कई महीने पहले दिल्ली के सीलमपुर क्षेत्र चुराई थी। नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः—

- 1. कन्हैया कुमार पुत्र मुरारी सिंह नि0 49 जवाहर पार्क थाना साहिबाबाद गाजियबाद। पंजीकृत अभियोगो का विवरण:—
 - 1-मु0अ0सं0 1279/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
- 2-मु0अ0सं0 1280/2020 धारा 414 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद। बरामदगी का विवरणः—
 - 1. एक अद्द नाजायज चाकू।
 - 2. एक अद्द चोरी की मो०सा० नं० डीएल 5 एसएएल 9365।

थाना लोनी पुलिस द्वारा गैंगस्टर के वांछित अपराधी को किया गिरफतार

अभियुक्त सजाउदीन पुत्ररियाजुदीन नि0 रटौल थाना खेखडा जनपद बागपत जो पुर्व मे थाना लोनी से मु0 अ0 2415/18 धारा 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम मे दिनांक 24.10.208 को गिरफ्तार कर जेल जा चुका है। जो वर्तमान मे 319/20 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट मे वांछित चल रहा था। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफतारी हेतू कार्यवाही करते हुये थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनांक 27.0.2020 को मु0अ0स 319/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट मे दिनांक 06.05.2020 से वांछित चल रहे अभियुक्त सजाउदीन पुत्ररियाजुदीन नि0 रटौल थाना खेखडा जनपद बागपत को विरौडी से करीब 03.10 बजे प्रातः गिरफतार किया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त एवं आपराधिक इतिहासः-

सजाउदीन पुत्ररियाजुदीन नि0 रटौल थाना खेखडा जनपद बागपत

- 1. म्0अ0स02415/18 धारा 3/11 पश् क्रुरता अधि0, 3/5/5 गौवध निवारण अधि0 थाना लोनी
- 2. म्0अ0स0 319/20 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना लोनी



3.

माननीय एनजीटी के नियमों का उलंघन कर तार जलाकर वायु प्रदूषण फैलाने वाले 3 नफर अभियुक्त गिरफ्तार व 1 कुन्तल 40 किलो विना जला व 10 किलो जला हुआ तार बरामद

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियावाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों एवं मा0 एनजीटी के नियमों का उलंघन कर एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लोनी के पर्यवेक्षण में थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 27.10.20 को समय 11.30 बजे यमुना के किनारे हर्रमपुर के पास से अभियुक्तगण 1.जावेद उर्फ मोनू पुत्र साजन निवासी शीशे वाली मस्जिद के पास डाबर तालाव थाना लोनी गा0वनाद 2.अमरपाल पुत्र हरिशंकर नि0 प्रतापनगर वेहटा हाजीपुर थाना लोनी वोर्डर गा0वाद 3.फिरोज पुत्र वली मोहम्मद नि0 उपरोक्त को 01 कुन्तल 40 किलो विना जला तार व 10 किलो जला तार मय गाडी इको वैन न0 डीएल 4 सीएएक्स-5820 के गिरफ्तार किया गया है।

पूछतांछ का विवरण- अभियुक्तगण ने पूछतांछ करने पर बताया कि हम लोग दिल्ली की गोदामों से तार खरीदकर लाते है और उसको यमुना के किनारे जलाकर उसमें से कापर के तार को निकालकर वेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करते और अपनी जीविका चलाते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/ आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 644/20 धारा 188/278/290/291 भादवि थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

1.जावेद उर्फ मोनू पुत्र साजन निवासी शीशे वाली मस्जिद के पास डाबर तालाव थाना लोनी गा0वनाद 2.अमरपाल पुत्र हरिशंकर नि0 प्रतापनगर वेहटा हाजीपुर थाना लोनी वोर्डर गा0वाद 3.फिरोज पुत्र वली मोहम्मद नि0 उपरोक्त

बरामदगी का विवरण - 01 कुन्तल 40 किलो विना जला तार व 10 किलो जला तार व गाडी इको वैन न0 डीएल 4 सीएएक्स-5820



<u>थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 किलो 400 ग्राम अवैध</u> <u>डोडा चूर्ण</u> बरामद

दिनांक- 27-10-2020

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदो में अवैध नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री अभिषेक वर्मा के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री अभय कुमार मिश्र महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी कोतवाली व0उ0नि0 श्री दिनेश पाल सिंह की टीम द्वारा दिनांकः 27-10-2020 को हिण्डन पेट्रोल पम्प के पास नया बस अड्डा पर चैकिंग के दौरान जनपद में अवैध मादक पदार्थ के कारोबार में लिप्त एक अभियुक्त राशिद पुत्र महमूद को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से 01 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा चूर्ण के बरामद कर गिरफ्तार किया गया है।



अपराध कारित करने का तरीका/पूछतांछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछतांछ में बताया कि वह गाजियाबाद मे भिन्न भिन्न स्थानो पर अवैध लाभ तथा अपने निजी स्वार्थ के लिये अवैध डोडा चूर्ण को नशे के आदी लोगो को बेचता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

राशिद पुत्र महमूद निवासी म0नं0 12 मौहल्ला कसाईबाडा थाना लिसाडीगेट जिला मेरठ उम्र करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

1- मु0अ0सं0- 719/2020 धारा ८/१८ एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गा0बाद

बरामदगी का विवरण:-

1- 0ग्राम अवैध डोडा चूर्ण 400 किलो 1

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा चोरी की 01 मोटर साइकिल व 01 अदद नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही:— जनपद गाजियाबाद व आस—पास के जनपदों में अपराधियों चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतूर्थ महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 27.10.2020 को समय करीव 1.10 टेलिफोन एक्स्चेन्ज पुलिया के पास से एक अभियुक्त कन्हैया कुमार पुत्र मुरारी सिंह नि0 49 जवाहर पार्क थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को चोरी की मोटर साईकिल सुपर



स्पलेण्डर नं0 डीएल 5 एसएएल 9365 व एक अद्द नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछतांछ में बताया कि यह मोटर साइकिल उसने कई महीने पहले दिल्ली के सीलमपुर क्षेत्र चुराई थी। नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:—

- 2. कन्हैया कुमार पुत्र मुरारी सिंह नि0 49 जवाहर पार्क थाना साहिबाबाद गाजियबाद। पंजीकृत अभियोगो का विवरणः—
 - 3-मु0अ0सं0 1279/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
- 4-मु0अ0सं0 1280/2020 धारा 414 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद। बरामदगी का विवरणः—
 - 3. एक अद्द नाजायज चाकू।
 - 4. एक अद्द चोरी की मो०सा० नं० डीएल 5 एसएएल 9365।